

Sub-Educational management and Tuesday  
Administration - Edu - 08

Topic - School Management Committee (SMC)

विद्यालय प्रबन्ध समिति कार्यकाल - 2 वर्ष

आधिनियम 2009 धारा - 21 प्रत्येक विद्यालय में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और एक प्रबन्ध समिति का गठन।

समिति में सदस्य  $\rightarrow$  15

अभिभावक सदस्य  $\rightarrow$  11

समिति का सचिव - प्रधानाध्यापक।

समिति के अधिकार / कर्तव्य

- 1  $\rightarrow$  6-14 वर्ष के सभी बच्चों का नाम विद्यालय में दर्ज या नहीं देना।
- 2  $\rightarrow$  बच्चों की शिक्षण अवधि में नियमित उपस्थिति की देखना।
- 3  $\rightarrow$  विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना।
- 4  $\rightarrow$  आवश्यकता पूर्ति समिति सदस्यों की जिम्मेदारी।
- 5  $\rightarrow$  मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर बल।
- 6  $\rightarrow$  शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु योजना बनाना।
- 7  $\rightarrow$  शैक्षिक गुणवत्ता पर चर्चा करना।
- 8  $\rightarrow$  अच्छे कार्यों के लिए छात्रों / शिक्षकों / अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
- 9  $\rightarrow$  शासकीय शिक्षक ट्यूशन वर्जित। मानिटरिंग करना।
- 10  $\rightarrow$  शैक्षिक स्तरों पर चर्चा।
- 11  $\rightarrow$  महयाहन योजना का क्रियान्वयन करना।
- 12  $\rightarrow$  निःशक्त और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान।
- 13  $\rightarrow$  किन्ही कारणों से 6-14 वर्ष के बालक शिक्षक से वंचित हो, तो उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाना।
- 14  $\rightarrow$  शिक्षकों की उपस्थिति की मानिटरिंग (SMC) द्वारा।

B.R.C. Deoband  
Unit Pro - Sabar  
Page